टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद

बनाम

भारत संघ व अन्य

(अंतर्वर्ती आवेदन पत्र संख्या 2016/2007)

21 फरवरी, 2008

(के. जी. बालाकृष्णन, सीजे., डॉ. अरिजीत पासायस और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.)

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 धारा 3 (3) - केन्द्रीय प्राधिकार प्राप्त सिमित का गठन-

पेडों की अवैध कटाई के मामलों की जांच करने के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारणयों और अन्य वन क्षेत्रों के अंदर खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना और लकडी आधारित उद्योगों को विनियमिति करना- जैसा की आदेश में उल्लेखित है, समिति गठित की गयी- सीईसी का कार्यकाल तीन साल का होगा।

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः- अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 2016/2007 रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

उपस्थित- जी. ई. वाहनवती, भारत के महाधिवक्ता, आर. मोहन, ए. एस. जी., हरीश एन. साल्वे (ए. सी.), यू. यू. ललित (ए. सी.), के. अमरेश्वरी, रंजीत कुमार, वी. बी. सिंह, के. के. वेणुगोपाल, शोभा दीक्षित, सिद्धार्थ चौधरी (ए. सी.), पी. के. मनोहर, तपेश कुमार सिंह, दिनेश चंद्र पांडे, अजीत कुमार सिन्हा, हैरिस बीरन (वास्ते पी. परमेस्वरन), विरेंद्र परमार, सुनीता सिंह, वरुण, शेफाली जैन, बीनू टम्टा, सुषमा सूरी,

एनजी. जे. आर. लुवांग, रिकु शर्मा (मैसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए), एस. यू. के. सागर, बीना माधवन, हेमल के. शेठ, (मेसर्स लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए), मनीष गोस्वामी, अशोक पाणिग्रही (मेसर्स एमएपी एंड कंपनी के लिए), एस. बालाजी, लक्ष्मी जयशंकर, एम. एल. लाहोटी, पवन के. शर्मा, रचना श्रीवास्तव, रानी छाबड़ा, अनिल के. झा, (एम/एस। फॉक्स मंडल एंड कंपनी) जे. के. भाटिया, श्रीधर पोटाराजू, प्रमोद दयाल, अनिल के. श्रीवास्तव, रितु राज, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वी. के. वर्मा, अजीत पुद्दुसरी, जी. प्रकाश, सुपर्णा श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, जितेंद्र मोहन शर्मा और गोपाल सिंह

1. विद्वान सॉलिसिटर जनरल और विद्वान न्यायमित्र द्वारा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के गठन के बारे में दिए गए सुझावों पर हमने विचार किया गया । सी. ई. सी. की संरचना इस प्रकार होगीः

न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था

(1) श्री पी. वी. जयाकृष्णन, अध्यक्ष

(2) श्री पी. आर. मोहंती, वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(3) श्री एम. के. जिवराजका, सदस्य सचिव

(4) श्री एस. के. पटनायक

(5) डॉ. एम. के. मुट्टू

(6) श्री महेंद्र व्यास

(7) श्री संजीव चड्ढा (उप सचिव)

2. श्री एम. के. जीवराजका आज प्रतिनियुक्ति पर हैं क्योंकि वे महाराष्ट्र राज्य में वन अधिकारियों के संवर्ग से संबंधित है, जिनका प्रतिनियुक्ति दिनांक 31-03-2009 तक जारी रखने का आदेश दिया गया है।

3. सी. ई. सी. का कार्यकाल तीन साल या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगा।

अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।